

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfotdwas@mp.gov.in, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक / DM / 2021 /
प्रति,

3001

देवास, दिनांक 24-3-2021

कार्य पालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
संभाग देवास, जिला देवास

विषय :- पटपड़ी तालाब परियोजना में प्रभावित 72.00 हेक्टर वनभूमि स्टेज-1 की स्वीकृति बाबद।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 273/बागली/542 दिनांक 03.03.20 21 एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन विभाग मंत्रालय दिल्ली का पत्र फाईल नं. 8-10/2020/एफ सी दिनांक 02.03.2021।

—00—

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल द्वारा सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं NPV की राशि - स्वीकृति में अधिरोपित पार्ट ए शर्त क्रमांक 7 के पालन में मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन द्वारा स्वीकृत 11 वर्षीय प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना की राशि रु. 3,24,96,175/- (तीन करोड़ चौबीस लाख छियानवे हजार एक सौ पिच्चहत्तर) एवं शर्त क्रमांक 6 के पालन में म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय (वल्लभ भवन) भोपाल के आदेश दिनांक 12.09.2008 से निर्धारित, ईको वैल्यू श्रेणी के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनक्षेत्र का घनत्व (0.5 से 0.7) होने से नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि 8.03 लाख पर हेक्टर की राशि निर्धारित की गयी है। विषयांकित योजना में देवास वनमण्डल का 72.00 हेक्टर वनक्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जिसके अनुसार कुल राशि 72.00 x 8.03 = 5,78,16,000/- (पाँच करोड़ अठोत्तर लाख सोलह हजार) राशि भारत सरकार की वेबसाईट www.forestclearance.nic.in पर जाकर ई-पोर्टल के माध्यम से एड-हॉक कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा करें। राशि हस्तांतरण होने के उपरांत ऑनलाईन जनरेट होने वाले हस्तांतरण संबंधी चालान/रसीद का विवरण आदि से इस वनमंडल कार्यालय को अवगत करावे।

क्र.	अधिरोपित शर्त क्र. पार्ट -ए	विवरण	मद का नाम	आवेदक संस्थान से वसूल की जाने वाली राशि (रूपये में)	
				अंको में	शब्दों में
1	6	नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि	कैम्पा	5,78,16,000/-	पाँच करोड़ अठोत्तर लाख सोलह हजार
2	7	वैकल्पिक वृक्षारोपण	कैम्पा	3,24,96,175/-	तीन करोड़ चौबीस लाख छियानवे हजार एक सौ पिच्चहत्तर
कुल राशि				9,03,12,175/-	नौ करोड़ तीन लाख बारह हजार एक सौ पिच्चहत्तर

संदर्भित भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार दी गयी शर्तों के पालन में निम्न कार्यों की राशि का आकलन प्रचलित है, पृथक से मांग की जावेगी।

1. केचमेण्ट एरिया ट्रिटमेण्ट प्लान - पार्ट ए शर्त क्र. 1।
2. निजी भूमि पर खड़े वृक्षों के एवज में फलदार वृक्षों की राशि का आकलन - पार्ट ए शर्त क्र. 3।
3. वाईल्ड लाईफ मेनेजमेण्ट प्लान - पार्ट ए शर्त क्र. 4।
4. विदोहन योजना की राशि का आकलन - पार्ट बी शर्त क्र. 6।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास


देवास, दिनांक

पृ.क्रमांक / DM / 2021 /
प्रतिलिपि -

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास



kachhole_d\dm data new\dm letter all\dm letter all 2021.docx131